



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सोनपुर

Email ID:- eercdsonepur@gmail.com



पत्रांक:- 643 (अनु०)
प्रेषक,

सोनपुर/दिनांक:- 19.09.2022

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, सोनपुर।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषय:-

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-दरियापुर, थाना-सोनपुर, थाना नं०-46, खाता नं०-177, 262, खेसरा नं०-953, 954, जिला-सारण में BPCL द्वारा प्रास्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1924 अनु० दिनांक 08.09.2022
- (2) अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, सारण पथ अंचल, हाजीपुर का पत्रांक 1095 (अनु०), दिनांक 15.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा (छाया प्रति संलग्न) निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है।

1. प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष के बाद विभागीय संकल्प सं०-1921 (s) दिनांक 08.03.2018 की कंडिका 06 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित **Renewal Fee** (नवीकरण फीस) जमा कराते हुए नवीकरण की जायेगी।
2. विभागीय पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका 06 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
3. भविष्य में यदि आवदेक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आपके पत्रांक 315 दिनांक 22.04.2022 के आलोक में स्वीकृत नक्शा मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

सूचनार्थ समर्पित।

- अनु०-(1) स्वीकृत नक्शा की मूल प्रति।
(2) प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सोनपुर

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- प्र०-23/उ०बि० (या०) आउटलेट-30-37/2022 / 924 दिनांक :- 8/9/2022

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

रोवा में

अधीक्षक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग,

सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-दरियापुर, थाना-सोनपुर, थाना नं०-46, खाता नं०-177, 262, खेसरा नं०-953, 954, जिला-सारण में BPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

(i) आपका पत्रांक-1014 (अनु०) दिनांक-30.08.2022

(ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक- 08.03.2018

(iii) विभागीय पत्रांक- 4770 (E), दिनांक- 24.08.2017

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-दरियापुर, थाना-सोनपुर, थाना नं०-46, खाता नं०-177, 262, खेसरा नं०-953, 954, जिला-सारण में BPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-4770 (ई०) दिनांक- 24.08.2017) तथा संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S), दिनांक -08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है।

1. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
2. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक- 08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
3. विभागीय पत्रांक 4770 (ई०) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका-6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
4. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनाओं से स्वयं भी संतुष्टि कर कार्रवाई करेंगे। त्रुटि पाये जाने पर उपभाग को अवगत करायेंगे।
5. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अनु०:- मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

संज्ञांक-1095क/हाजीपुर, दिनांक 15/9/22

मुख्य अभियंता, उत्तर

पत्रांक प्रेषक
14/9/22

मा.जी
14-9-22

प्रतिभाषि - कंडिका-6 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है।

1. सारण पथ अंचल, हाजीपुर।